न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

(1) अपील संख्या 2021-175 (जीसीएमएस 2021-477)

1. किसनसिंह उर्फ केशरसिंह पुत्र हमीरसिंह
2. अमानसिंह पुत्र हमीरसिंह
3. भैरूसिंह पुत्र हमीरसिंह
4. भगवानसिंह पुत्र हमीरसिंह

सभी जाति राजपूत, निवासीगण गांव उदट, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स...

ब

ना

म

1. प्रेमसिंह गोदपुत्र बिडदसिंह
2. अर्जुनसिंह पुत्र हमीरसिंह

रेस्पो. संख्या एक व दो जाति राजपूत निवासी गांव उदट, तहसील फलोदी जिला जोधपुर

3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार फलोदी जिला जोधपुर
4. जिला कलेक्टर, जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी दिनांक 12 अक्तूबर 2012 राजस्व वाद संख्या 273/2011 प्रेमसिंह बनाम हमीरसिंह इत्यादि

---

(2) अपील संख्या 2021-128 (जीसीएमएस 2021-478)

1. किसनसिंह उर्फ केशरसिंह पुत्र हमीरसिंह
2. अमानसिंह पुत्र हमीरसिंह
3. भैरूसिंह पुत्र हमीरसिंह
4. भगवानसिंह पुत्र हमीरसिंह

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सभी जाति राजपूत, निवासीगण गांव उदट,
तहसील फलोदी, जिला जोधपुर

अपीलाण्ड्स...

ब

ना

म

1. प्रेमसिंह गोदपुत्र बिडदसिंह
2. अर्जुनसिंह पुत्र हमीरसिंह
   रेस्पो. संख्या एक व दो जाति राजपूत
   निवासी गांव उदट, तहसील फलोदी
   जिला जोधपुर
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार फलोदी
   जिला जोधपुर
4. जिला कलेक्टर, जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिकी सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी दिनांक 18 नवम्बर 2013 राजस्व वाद संख्या 273/2011 प्रेमसिंह बनाम हमीरसिंह इत्यादि

उपस्थित-
श्री एन.के.मून्दडा, अधिवक्ता-अपीलाण्ड्स
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या तीन व चार
रेस्पो. संख्या 1 व 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं

नि र्ण य

दिनांक : 27 जनवरी, 2023

अपीलाण्ड्स ने यह दोनों अपीलें न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व वाद संख्या 273/2011 प्रेमसिंह बनाम हमीरसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 12 अक्तूबर 2012 तथा निर्णय एवं फाइनल डिकी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिनांक 18 नवम्बर 2013 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत प्रस्तुत की है। इन दोनों अपीलों से संबंधित पक्षकारान, मूल वाद तथा विषयवस्तु एक समान होने के कारण उभयपक्षकारान की सहमति से इन दोनों अपीलों का निस्तारण इस एक ही निर्णय के जरिये किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक संबंधित अपील पत्रावली के संलग्न रखी जावे।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. संख्या एक ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत एक राजस्व वाद आराजी खसरा संख्या 6 रकबा 87 बीघा 12 बिस्वा एवं खसरा संख्या 11 रकबा 17 बीघा 02 बिस्वा कुल रकबा 104 बीघा 14 बिस्वा वाके मौजा उदट में अपना ½ हिस्सा जाहिर करते हुए विभाजन हेतु प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त वाद दिनांक 15 सितम्बर 2011 को संस्थित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आगामी पेशी दिनांक 19 अक्तूबर 2011 की आदेशिका अनुसार सम्मन जरिये चस्पादंगी तामील होना अंकित कर प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने के कारण इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। तत्पश्चात वादी-पक्ष की साक्ष्य सुनवाई के बाद उक्त वाद दिनांक 12 अक्तूबर 2012 को स्वीकार करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये और विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 18 नवम्बर 2013 को फाइनल डिक्री जारी कर दी गयी। जिनके खिलाफ आलौच्य अपीलें प्रस्तुत की गयी है। दोनों अपीलों के साथ अलग-अलग प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम पेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के खिलाफ सम्मनों की समुचित तामील हुए बिना ही तामील पर्याप्त मानते हुए इकतरफा कार्यवाही अमल में लाने के आदेश पारित कर दिये गये, जिस कारण विचारण न्यायालय के समक्ष वाद की कार्यवाही एवं अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी बाबत अपीलाण्ट्स को समुचित समय में कोई जानकारी नहीं हो पायी। सर्वप्रथम पटवारी हळका के कार्यालय रिकार्ड से दिनांक 10 दिसम्बर 2013 को वादग्रस्त आराजियात का ½ हिस्सा वादी-रेस्पो. संख्या एक के नाम दर्ज कर दिये जाने की जानकारी होने पर प्रतिवादी-अपीलाण्ट्स ने विचारण न्यायालय से अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी की प्रमाणित नकलें प्राप्त अधिवक्ता से सम्पर्क किया गया और बाद आवश्यक कार्यवाही आलौच्य अपीलें जानकारी की दिनांक से निर्धारित समय सीमा के भीतर अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी। अतः प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम स्वीकार किये जा कर आलौच्य अपीलें अन्दर मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे। अपनी बहस जारी रखते हुए अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी जाहिर किया कि सम्मनों की समुचित तामील कराये बिना ही विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लाये जाने के कारण अपीलाण्ट्स विचारण न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित रहा। विचारण न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. संख्या एक ने जिन आधारों पर दावा पेश किया, उन्हें समुचित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

साक्ष्य सबूत पेश कर साबित नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा मामले में तनकियात कायम किये बिना एवं उपलब्ध अभिलेख का भलीभांति विवेचन एवं विश्लेषण किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिये गये। विचारण न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. द्वारा मृतक व्यक्ति के खिलाफ दावा पेश किया गया और विचारण न्यायालय द्वारा सम्मन भी मृतक व्यक्ति के खिलाफ ही जारी कर जरिये चस्पांदगी तामील पर्याप्त मान ली गयी। विचारण न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. संख्या एक ने स्वयं को बिडदसिंह का दत्तकपुत्र जाहिर करते हुए वादग्रस्त आराजी के ½ हिस्से का अधिकारी होना प्रकट किया है, किन्तु न तो विचारण न्यायालय के संबंध में इस बाबत समुचित साक्ष्य प्रस्तुत हुई और न ही कोई दस्तावेज प्रदर्श कराया गया है। जब अपने वाद के मूल आधार अर्थात वादी स्वयं को बिडदसिंह का दत्तकपुत्र होना साबित ही नहीं कर पाया तो ऐसी स्थिति में उसका वाद खारिज करने के अलावा विचारण न्यायालय के समक्ष कोई विकल्प ही नहीं रहता है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने विचारण न्यायालय द्वारा जारी फाइनल डिक्री विधिसम्मतः नहीं होना जाहिर करते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा फाइनल डिक्री जारी किये जाने के पूर्व न तो अपीलाण्ट्स को कोई सूचना नहीं दी गयी, पटवारी हळका द्वारा नजरी नक्शा भी अपीलाण्ट्स की गैरमौजूदगी में बनाया गया। इसके अलावा प्राथमिक डिक्री विधिसम्मतः नहीं होने के कारण उसके अनुसरण में फाइनल डिक्री जारी किया जाना न्यायसंगत नहीं है। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपीलें स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रेस्पो. संख्या 3 व 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। रेस्पो. संख्या एक एवं दो की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। आलौच्य मामले में विचारण न्यायालय द्वारा वाद दिनांक 15 सितम्बर 2011 को संस्थित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आगामी पेशी दिनांक 19 अक्तूबर 2011 की आदेशिका अनुसार सम्मन जरिये चस्पादंगी तामील होना अंकित कर प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने के कारण इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। सम्मनों की तामील के संबंध में सीपीसी के प्रावधानों अनुसार सामान्य प्रकिया के तहत सम्मनों की तामील नहीं हो पाने की स्थिति में सम्मनों की चस्पांदगी के जरिये तामील के संबंध में सीपीसी के आदेश 5 नियम 20(1) में प्रावधान इस प्रकार है-

Order 5 Rule 20(1) Where the Court is satisfied that there is reason to believe that the defendant is keeping out of the way for the purpose of avoiding service, or that for any other reason the summons cannot be served in the ordinary way, the Court shall order the summons to be served by affixing a copy thereof in some conspicuous place in the Court-house, and also upon some conspicuous part of the house (if any) in which the defendant is known to have last resided or carried on business or personally worked for gain, or in such other manner as the Court thinks fit.

आलौच्य मामले में वाद संस्थित होने पर प्रथम पेशी पर ही सामान्य प्रकिया के तहत में जारी सम्मनों की तामील जरिये चस्पांदगी पर्याप्त मान ली गयी है, जबकि चस्पांदगी के जरिये सम्मन तामील कराये जाने बाबत विचारण न्यायालय द्वारा कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आदेश भी पारित किया जाना नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में बिना समुचित निर्देश सम्मनों की आबाद मकान पर चस्पांदगी को सीपीसी के प्रावधानों के अनुरूप समुचित एवं सम्यक तामील नहीं माना जा सकता है। इसी संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध सम्मनों की कथित तामीलशुदा प्रतियों की पुश्त पर जिन व्यक्तियों के समक्ष सम्मन चस्पा कराया जाना वर्णित कर हस्ताक्षर कराये गये है, उन व्यक्तियों का कोई विवरण भी अंकित नहीं किया गया है। इन परिस्थितियों में अदालत हाजा की राय में विचारण न्यायालय में वाद की कार्यवाही के दौरान सम्मनों की समुचित एवं सम्यक तामील के अभाव में प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स विचारण न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित रहे है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 12 अक्तूबर 2012 तथा उसके अनुसरण में पारित निर्णय एवं फाइनल डिक्री दिनांक 18 नवम्बर 2013 नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं पाये जाने से बहाल रखे जाने योग्य नहीं है।

चूंकि विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स पर सम्मनों की समुचित एवं सम्यक तामील नहीं करायी गयी, इस कारण विचारण न्यायालय के समक्ष वाद की कार्यवाही एवं पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 12 अक्तूबर 2012 तथा उसके अनुसरण में जारी एवं फाइनल डिक्री दिनांक 18 नवम्बर 2013 बाबत अपीलाण्ट्स को समुचित समय में कोई जानकारी नहीं होना स्वभाविक है। अतः अपीलें प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किये जाने बाबत अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किये जाकर आलौच्य दोनों अपीलें अन्दर मियादशुमार की जाती है।

उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के अनुसार यह दोनों अपीलें आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 12 अक्तूबर 2012 तथा निर्णय एवं फाइनल डिक्री दिनांक 18 नवम्बर 2013 अपास्त किये जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स को अपना पक्ष एवं जबाब प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर मूल वाद में विधिवत कार्यवाही करते हुए नियमानुसार तनकियात कायम की जावे और उभयपक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण कर निष्कर्ष पारित करते हुए मूल वाद का निस्तारण किया जावे। पक्षकारान विचारण न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 27 फरवरी 2023 को उपस्थित रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27.01.2023

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर